उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद्
(अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1970

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1970)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1970*

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, 1970]

उ0 प्र0 अधिनियम सं0 10, 1973

उ0 प्र0 अधिनियम सं0 15, 1973

द्वारा संशोधित

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 21 मार्च, 1970 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 12 मई, 1970 को संशोधनों सहित पारित किया जो कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 28 मई, 1970 की बैठक में स्वीकृत किया गया।

भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 4 जून, 1973 ई0 को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 6 जून, 1970 ई0 को प्रकाशित हुआ।]

जिला परिषदों के संघटन और कृत्यों के सम्बन्ध में पुनर्विचार होने तक उनके प्रशासन के लिये कतिपय अल्पकालिक व्यवस्था तथा तत्सम्बन्धी विषयों के सम्बन्ध में प्राविधान करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1970 कहलायेगा। lf{kIr uke rFkk izkjEHk

(2) यह दिनांक 23 मार्च, 1970 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2–(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद अधिनियम, 1961 (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) के उपबन्ध, [1]**[**साढ़े चार वर्ष**]** की अवधि के लिये अथवा जब तक कि उक्त अधिनियम की धारा 22 के अधीन उक्त जिला परिषदों का पुनः संघटन न हो जाय, इसमें जो भी पहले हो, प्रत्येक जिला परिषद् के सम्बन्ध में, निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे, अर्थात् — ftyk ifj"knk d i'kklu d lc/k e vLFkk;h mic/k

(क) उक्त अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, जिला परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य अपने–अपने पद पर न रह जायेंगे ;

(ख) जिला परिषद्, उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा उसकी समितियों के सभी अधिकार, कृत्य तथा कर्तव्य, जिला मैजिस्ट्रेट में निहित हो जायेंगे और जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा ही उसका प्रयोग, निष्पादन तथा पालन किया जायेगा और जिला मैजिस्ट्रेट, जैसा भी अवसर के अनुसार अपेक्षित हो, विधि की पुष्टि में जिला परिषद्, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा समिति समझा जायगा ;

(ग) राज्य सरकार के किन्हीं सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए, जिला मजिस्ट्रेट पिछले अन्तिम खण्ड द्वारा उसे प्रदत्त सभी या किन्हीं अधिकारों के संबंध में इस प्रकार प्रदत्त अधिकारों को, ऐसी शर्तों के अधीन जो वह आरोपित करना उचित समझे, अपने द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को, प्रतिनिहित कर सकता है।

(घ) जिला मैजिस्ट्रेट खण्ड (ख) द्वारा उसे प्रदत्त सभी या किन्हीं अधिकारी के सम्बन्ध में ऐसे निकाय या समिति से परामर्श कर सकता है जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ संघटित की जाय ;

---

* उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 20 मार्च, 1970ई0 का सरकारी असाधारण गजट देखिए।

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 15, 1973 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ङ) राज्य सरकार समय–समय पर गजट में विज्ञप्ति द्वारा ऐसे प्रासंगिक या आनुषंगिक उपबन्ध, जिसके अन्तर्गत उक्त अधिनियम के किसी उपबन्ध का अनुकूलन परिष्कार या उसके प्रवर्तन को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निलम्बित करने का उपबंध भी है, किन्तु जिससे सार पर प्रभाव न पडे, बना सकती है, जो उसे पूर्ववर्ती तथा संबद्ध किसी भी प्रयोजन के लिए आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हो।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (ङ) के अधीन जारी की गई प्रत्येक विज्ञप्ति जारी किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में, कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखी जायेगी, और जब तक कि कोई वाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगी जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हो, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार का अभिशून्यन संबद्ध विज्ञप्ति के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

mRrj izns'k v/;kns'k la0 6] 1970 dk fujlu

3–उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अध्यादेश, 1970 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

———